न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या: **22/2023** दायर दिनाँक **27.07.2023**

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. रामनिवास झुरिया पुत्र मल्लूराम जाति जाट निवासी बाण्डोलाई की ढाणी कोलिया तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन।	**बनाम**	1. ताराचन्द्र पुत्र स्व. भंवरलाल 2. धनराज पुत्र स्व. भंवरलाल 3. बाबुलाल पुत्र स्व. भंवरलाल 4. जसौदा पत्नी स्व. भंवरलाल 5. धूमा पुत्री स्व. भंवरलाल 6. भंवरी पुत्री स्व. भंवरलाल 7. घनश्याम पुत्र बालूराम 8. झनकारी पत्नी बालूराम 9. जैसाराम पुत्र शंकरलाल 10. रामदेव पुत्र सुरजमल 11. चम्पादेवी पुत्री रामेश्वर 12. बजरंगलाल पुत्र मदनलाल 13. घेवरदेवी पत्नी मदनलाल 14. सरोज पुत्री मदनलाल 15. मन्जू पुत्री मदनलाल 16. इन्द्रा पुत्री मदनलाल 17. बुली पुत्री मदनलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण प्यांवा तहसील डीडवाना 18. तहसीलदार डीडवाना

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:–

1. श्री प्रकाश डूकिया वकील प्रार्थी।
2. श्री समदरसिंह नाथावत वकील अप्रार्थीगण सं. 2 ता 6, 9, 13, 15 ता 17

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **24.07.2025**

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 208 रकबा 4.2100 हैक्टे0 एवं खसरा संख्या 209 रकबा 2.5600 है. मौजा गोदरास पटवार हल्का खुनखुना में प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त का अवस्थित है। प्रार्थी उक्त खेत खसरा नम्बर 208, 209 में वर्तमान में [illegible] हेतु कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। जिस हेतु प्रार्थी ने [illegible] के खेत खसरा संख्या 213 रकबा 0.1800 है. में से नये कट्टाणी [illegible] के लिए राज[illegible] काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:08:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना।

प्रकरण को उक्त वर्णित नम्बर से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन की तामिली पर अप्रार्थीगण सं. 2 ता 6, 9, 13, 15 ता 17 की ओर से अधिवक्ता श्री समदरसिंह नाथावत ने जवाब पेश ने जवाब पेश नही करने पर दिनांक 28.02.2025 को जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 7,8, 10 ता 12, 14 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार डीडवाना से जरिये पत्रांक– रीडर/2024/614 दिनांक 09.12.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खेत खसरा संख्या 208, 209 सरहद गोदरास में कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी को खेत में आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 208, 209 सरहद गोदरास में सब से नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 213 सरहद गोदरास में से लगता है। खसरा संख्या 208, 209 एवं 533/214 वादीगण रामनिवास पुत्र मलूराम जाति जाट निवासी बाण्डोलाई के नाम दर्ज रेकर्ड है। वादीगण ने खसरा नम्बर 213 से नये रास्ते की मांगी की है। खसरा नम्बर 213 रकबा 0.1800 है. किस्म बा.2 वर्तमान में घनश्याम पुत्र बालूराम 1/8, चम्पादेवी पत्नी रामेश्वर 1/8, जैसाराम पुत्र शंकरलाल 1/12, झणकारी पत्नी बालूराम 1/8, भंवरलाल पुत्र शंकरलाल 1/12, मदनलाल पुत्र शंकरलाल 1/12, रामदेव पुत्र सूरजमल 1/4, सरस्वती देवी पत्नी रामेश्वर 1/8 समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी प्यावां के नाम दर्ज है। वादीगण ने अपने खेत में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 213 में से नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क ए से बी तक नया रास्ता की मांग की है जिसकी कटाणी मार्ग से दूरी 14 मीटर है जो कि वादीगण के खेत में आने जाने हेतु लघुतम दूरी बनती है। मार्क ए से बी तक लम्बाई 14 मीटर एवं चौडाई 9.14 मीटर अर्थात कुल क्षेत्रफल 0.0128 है. भूमि बनती है। प्रस्तावित भूमि की डीएलसी रेट से कुल किमत 4095 रूपये बनती है। वादीगण ने खसरा नम्बर 213 में से मार्क ए से बी तक नये रास्ते की मांग की है जो कि लघुतम दूरी है लेकिन उक्त प्रस्तावित रासते से खसरा नम्बर 213 जोत विभाजन होता है। नजरी नक्शा में दर्शाए मार्क ईएफबीडीजीएच कुल लम्बाई 36 मीटर एवं चौडाई 9.14 मीटर से कुल क्षेत्रफल 0.0329 है. बनता है। वर्तमान डीएलसी रेट से कुल किमत 10525 रूपये बनती है। उक्त प्रस्तावित रास्ते से जोत का विभाजन नहीं होता है लेकिन दूरी अधिक बनती है।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के खेत में पहुचने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। जवाब में वकिल अप्रार्थी ने दौराने बहस बताया कि अप्रार्थी के खेत का रकबा बहुत कम है अतः प्रार्थी को अप्रार्थी के खेत से रास्ता नहीं दिया जावे। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट से न्यायालय सहमत है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, पक्षकारान की बहस तहसीलदार डीडवाना की रिपॅार्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा गोदरास के खेत खसरा सं0 208 रकबा 4.2100 हैक्टे0 एवं खसरा संख्या 209 रकबा 2.5600 है. में आवागमन हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:08:20 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांक– रीडर/2024/614 दिनांक 09.12.2024 में दर्शित प्रस्तावित रास्ता मार्क ए से बी की भूमि को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांक– रीडर/2024/614 दिनांक 9.12.2024 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **24.07.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:08:20 IST
Reason: SelfAttested